प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 14 सितम्बर, 2018

विषयः- एस0जी0पी0जी0आई0 में सेन्टर आफ हिपैटोबायलरी डिजीजेज एवं ट्रान्सप्लांटेशन सेन्टर के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक- पी0जी0आई0/सिविल/अभि0/एन0बी0-68/184/2017, दिनांक 24-04-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संस्थान में सेन्टर आफ हिपैटोबायलरी डिजीजेज एवं ट्रान्सप्लांटेशन सेन्टर के निर्माण से सम्बन्धित पुनरीक्षित आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुरोध किया गया है।

2- प्रायोजना की मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या-676/71-3-09-पी-76/2007, दिनांक 27-2-2009 द्वारा रू0 2667.20 लाख प्रदान की गयी तथा शासनादेश संख्या-484/71-2-11-पी-76/2007, दिनांक 28-2-2011 द्वारा रू0 6232.82 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसके सापेक्ष अब तक विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से कुल रू0 5921.18 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एस0जी0पी0जी0आई0 परिसर में सेन्टर आफ हिपैटोबायलरी डिजीजेज एवं ट्रान्सप्लांटेशन सेन्टर के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 26 मई 2018 में अनुमोदित लागत रू0 6716.45 लाख की पुन: पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत् करते हुए लाख ₹ 459.49 लाख (रूपया चार करोड उनसठ लाख उनचास हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. संस्थान के निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का कार्य पुनरीक्षित अनुमोदित लागत में ही यथा शीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। संस्थान द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य कराया जाय।
3. प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
4. निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
5. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेक्स चार्ज लिया जायेगा। आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
6. संस्थान के निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक संस्थान की होगी।
7. संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30 मार्च 2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा
8. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/पोस्ट आफिस आदि में नहीं रखा जायेगा।
9. संस्थान द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
10. प्रायोजनान्तर्गत वर्क टू बी डन के अंतर्गत प्रस्तवित जी0एस0टी0 को फिलहाल अनुमन्य नहीं है, जो नियमानुसार देय होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

11. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित मात्राओं तथा प्राविधानों को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित कियेजाने का समस्त उत्तरदायित्व संस्थान/कार्यदायी संस्था का होगा।
12. उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो इस संस्थान के कुलसचिव अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।
13. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों का यथावत् मानते हुए किया गया है जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना, कार्यो के आकार एवं मार्ग की लम्बाई में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
14. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

4- धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- इस संबंध में होने वालाव्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-31-चिकित्साविभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ-24-वृहत निर्माण कार्य' के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/1852/दस-2018, दिनांक 05 सितम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 117/2018/2405(1)/71-2-18-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
4. संबंधित कोषाधिकारी, लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
6. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/ (आय-व्ययक)-2
7. महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
8. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
9. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जयन्त नार्लिकर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in